India to guide the country on policies of underground space development in an organised and efficient manner; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (DR. U. VENKATESWARLU): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Relaxation in recruitment rules for regulation of executive engineers in C. P. W. D.

2618. SHRIMATI ANANDIBEN JETHABHAI PATEL: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have relaxed the Recruitment Rules for regularising all the adhoc Executive Engineers, both Civil and Electrical, in CPWD;

(b) if so, the details of scheme, including the number of promotions from Assistant Engineer quota to Assistant Executive Engineer quota;

(c) what steps Government propose to take to implement the above scheme at the earliest; and

(d) the time limit fixed by Government to implement the above scheme?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (DR. U. VENKATESWARU): (a) Yes, Sir.

(b) As given in the Statement enclosed (*See* below).

(c) Necessary proposals have already been sent to UPSC for EE (Civil) on 11.7.97 and EE (Elect.) on 14.7.97 for convening DPCs for regularisation.

(d) No time limit can be fixed as the UPSC is already seized of the matter.

STATEMENT

In acordance with the Rrecruitment Rules, as they stood prior to revision on 29.10.96, the posts of Executive Engineers were filled up 2/3rd from the Assistant Executive Engineers, (Group A) and 1/3rd by Assistant Engineers, (Group B). the number of AEEs recruited every year have generally been below the quota previously earmarked for them in order to ensure that these offices did not stagnate at higher levels. As a result, Assistant Engineers had to be promoted in excess of their quota due to adequate number of AEEs not being available for promotion to Executive Engineer level to fill up their quota. It has now been decided to divert 430 posts of EE(C) and 120 posts of EE(Elect.) falling in the promotional quota of Assistant Executive Engineers, as on 28.10.96, for which adequate number of AEEs were not available, to Assistant Enigneers by relaxation of Recruitment Rules. These carry over vacancies alongwith the current vacancies of these years will be filled up over 3 year period commencing from 1994-95 to 1996-97 (upto 28.10.1996). This would help in the regularisation of 430 EEs (C) and 120 EEs(E) who had been working as Executive Engineers on adhoc basis for varying periods of time.

दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि का सामाजिक संस्थानों को रियायती दर पर आवंटन

2619. **श्री नागमणि** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण सामाजिक संस्थानों को रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या रोहणी और पप्पनकलां परियोजनाओं में ऐसी कोई व्यवस्था की गयी है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी० डी०ए०) ने बताया है कि दिल्ली मास्टर प्लान 2001 के अनुसार सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक संगठनों को रोहिणी और द्वारका (पप्पनकलां) परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन बाबत प्रावधानों की व्यवस्था की गयी है । इन दोनों परियोजनाओं के तहत प्रयोजनार्थ निर्दिष्ट भूमि के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

द्वारका परियोजना (पप्पनकलां)

(i) चरण–I लगभग 192.71 हेक्टेयर

(ii) चरण–II लगभग 102.62 हेक्टेयर

रोहणी परियोजना

(i) चरण–I और II लगभग 126 हेक्टेयर

(ii) चरण–III लगभग 53 हेक्टेयर

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात में विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन

2620. श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक पंचमहल और कच्छ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभिन्न कस्बों/शहरों/उपनगरों में कार्यान्वित की जा रही विकास परियोजनाओं के नाम क्या हैं और उन पर खर्च की गयी धनराशि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) भुज, मांडवी, गांधीधाम, अंजार, गोधरा, और दाहोद में अब तक कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त परियोजनाओं को उनकी नियत समय सीमा में पूरा कर लिये जाने की संभावना है ;

(घ) क्या पंचमहल और कच्छ के बड़े नगरों में वहां तेजी से बढ़ रही जनसंख्या की तुलना में विकास परियोजनाओं की काफी कमी है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) : (क) पंचमहल तथा कच्छ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभिन्न कस्बों/नगरों/उपनगरों में दो केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं तथा निर्धनों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं (यू. बी. एस. पी.) तथा प्रधानमंत्री का समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पी. एम. आई. यू. पी. ई. पी) चलाए जा रहे हैं। केन्द्र स्तर पर परियोजना-वार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(ख) विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत कस्बों/नगरों में कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाएं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जाती हैं । भुज, गांधीधाम तथा गोधरा में निर्धनों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं तथा अंजार व दाहोद में प्रधान मंत्री का समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

(ग) ये परियोजनाएं चल रही हैं तथा इनके लिए कोई समय-सीमा नियत नहीं की गई है ।

(घ) शहरी विकास राज्य का विषय है अतः इन मुद्दों पर गुजरात सरकार द्वारा उपयुक्त रूप से विचार किया जाता है।